राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 17, सोमवार, शाके 1945-अक्टूबर 09, 2023
Asvina 17, Monday, Saka 1945- October 09, 2023

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 07, 2023

एस.ओ.146 :-यतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 42 की उप-धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ 89(9)उ.मा.वि./उ.सं./2020/II दिनांक 20.06.2022 से उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 20 जुलाई, 2020 से राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखा जोधपुर स्थापित की गई थी;

और यतः वर्तमान में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की प्रादेशिक शाखा जोधपुर की कार्यावधि पाक्षिक है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक कार्य के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य आयोग की प्रादेशिक शाखा (सर्किट बैंच) जोधपुर को स्थायी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है;

अतः अब राज्य सरकार उक्त अधिसूचना दिनांक 20.06.2022 से स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की प्रादेशिक शाखा जोधपुर को स्थायी करती है, अर्थात् अब उसकी कार्यावधि पाक्षिक के स्थान पर स्थाई होगी।

[संख्या एफ 89(15)उ.मा-वि./ उ.सं./2023]

राज्यपाल की आज्ञा से,

रामस्वरूप,

संयुक्त शासन सचिव ।

Government Central Press, Jaipur.